

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2-

संख्या-298/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी0सी0- 281-30प्र0अधि0-1-

2017-आदेश-(345)-2025

लखनऊ: दिनांक: 28-02-2025

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 721/ग्यारह-2-24-9(42)/17-टी0सी0-70-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(328)-2024 दिनांक 26.10.2024 द्वारा जारी उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चौसठवां संशोधन) नियमावली, 2024 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 1 के उप-नियम (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल एतद्द्वारा नीचे सारणी के सूतम्भ (3) में यथाउल्लिखित निम्नलिखित तारीखों को नियत करते हैं, जिनको उक्त सारणी के सूतम्भ (2) में विनिर्दिष्ट उक्त नियमावली के उपबंध क्रमशः, प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे / प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:-

| क्रम संख्या | नियम | तारीख |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | नियम 2, 24, 27 और 32 | 11 फरवरी, 2025 |
| 2. | नियम 8, 37 और नियम 38 का खंड (ii) | 01 अप्रैल, 2025 |

आज्ञा से,

Signed by
(एम0 देवराज)

M Devaraj
मुख्य सचिव।

Date: 28-02-2025 15:53:19